राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033,222025)

क्रमांकः F.61(209)SSAAT/Estt./Consultant/2024-08285 दिनांक : ई–हस्ताक्षरित

श्री ईश्वर लाल कन्ना,
से.नि. लेखाधिकारी,
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
पिन– 302020

विषयः–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1)''एकल स्त्रोत उपापन'' के तहत सोसायटी मुख्यालय में सलाहकार की सेवाओं के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1) ''एकल स्त्रोत उपापन'' के अन्तर्गत सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय में निम्नांकित कार्यो (TOR) हेतु सलाहकार की सेवाओं (Services) की आवश्यकता है :–

कार्य का विवरणः–

1. डीआरपी/बीआरपी/वीआरपी प्रशिक्षण कराये जाने से संबंधित समस्त कार्य
2. एजी/सीएजी/पीएसी जनलेखा समिति की सिफारिशे आदि कार्यो का पर्यवेक्षण।
3. विधानसभा प्रश्नों से संबंधित सूचना तैयार करना एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही से संबंधित समस्त कार्य।
4. विशेष जॉच की अनुपालना रिपोर्ट पर समीक्षात्मक टिप्पणी कर निस्तारण की कार्यवाही करना।
5. आरटीआई से संबंधित कार्या का परीक्षण
6. न्यायालय प्रकरणों से संबंधित कार्यो की मॉनिटरिंग
7. उच्च अधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

सेवा शर्तेः–

1. कार्यालय समय में नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना।
2. राजकीय अवकाश के अतिरिक्त एक कलैण्डर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अतिरिक्त अवकाश लेने पर अनुपातिक रूप से फीस में कटौति की जाएगी।
3. किसी प्रकार चिकित्सा पुनर्भरण देय नहीं होगा।
4. यात्रा करने पर नियामानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
5. सलाहकार के रूप मे अपनी सेवाएं देने हेतु स्वीकृत दर से सलाहकार राशि रू. 38700/–प्रतिमाह देय होगी।
6. 12 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश लेने पर अनुपातिक रूप से फीस में कटौति की जाएगी।

Validity unknown

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.10.08 14:07:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18203354
eSign 1.0

7. मासिक देय फीस में से नियमानुसार आयकर की कटौति की जाएगी।
8. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर एक वर्ष से पूर्व भी 15 दिन का नोटिस देकर सलाहकारी सेवाओं से हटाया जा सकेगा।
9. श्री ईश्वर दास कन्ना, सेवानिवृत सहायक लेखाधिकारी को सलाहकार के पद पर एक वर्ष या श्री कन्ना को दिये गये कार्य के लिए नियमित कार्मिक की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक सेवाऐं रहेंगी।
10. श्री ईश्वर दास कन्ना को निर्देशित किया जाता है कि वे 500/– रू. के नोन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करेंगें।
11. किसी तरह का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

(सॉवर मल वर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।
1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय हाजा।
4. संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा।
5. प्रोग्रामर(SSAAT) को प्रेषित कर लेख है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)'' एकल स्त्रोत उपापन'' के अन्तर्गत उपर्युक्त सूचना को अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, (SSAAT)

RajKaj Ref No.:
18203354
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.10.08 14:07:42 IST
Reason: Approved